| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज<br>निगरानी /एल.आर./7087/ 2006/ दौसा<br>रेवड़ बनाम किशना उर्फ कसना | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.12.25 | **एकल–पीठ**<br>**श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य**<br><br>**उपस्थित :**<br>श्री समीर अहमद, अभिभाषक प्रार्थीगण<br>अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।<br><br>**आदेश**<br><br>यह हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–04–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br><br>निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम खैरवाल तहसीलदार दौसा स्थिति विवादित आराजियात की खातेदारी रामप्यारी बेवा पांचू कौम मीना साकिन नांगल बैरसी थी। खातेदार रामप्यारी की मृत्यु होने पर उसके वारिसान प्रार्थी संख्या 1 व 2 रेवड़ पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 एवं कल्याण पुत्र कालू हिस्सा 1/2 के नाम नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 12–08–2003 को ग्राम पंचायत खैरवाल द्वारा स्वीकार किया गया। इस आदेश से पीडित होकर अप्रार्थी किसना उर्फ कसना पत्नी कानाराम द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी, दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 28–09–2004 द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 276 खारिज कर दिया एवं प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किया गया कि पक्षकारों को सनुकर व वसीयत को ध्यान में रखते हुये पूर्ण जांच कर पुनः नामान्तरकरण निर्णित करे। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, | |

| | | |
|---|---|---|
| | जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दौसा का आदेश दिनांक 26–04–2006 को यथावत रखा गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई।<br><br>विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस निगरानी में सुनी गयी।<br><br>विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक 26–04–2006 को पारित आदेश तथा उप जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा दिनांक 28–09–2004 को पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विरूद्ध पारित किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आवश्यक कानूनी पहलुओं, साक्ष्य एवं प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किये बिना आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के सिन्द्धान्तों के प्रतिकूल है। उनका तर्क है कि उप जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष मामला केवल आपत्ति की बहस हेतु नियत था, न कि प्रकरण के अंतिम निर्णय हेतु। इसके बावजूद बिना विधिवत सुनवाई व बिना पूर्ण बहस के अपील स्वीकार कर ली गई, जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है। उप जिला कलेक्टर, दौसा ने अपील का निर्णय किया, तत्समय यथास्थिति बनाये रखने का आदेश भी पारित था। जब अपील पर कोई बहस नहीं हुई थी, तब नामान्तरकरण रिमाण्ड करना गंभीर कानूनी भूल है। मृतक रामप्यारी की कथित वसीयत दिनांक 03–11–1998 अप्रार्थी | |

के पक्ष में है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 28–09–2004 को यथावत रखा, जबकि विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का सिद्ध था, फिर भी प्रार्थीगण के अधिकारों की अनदेखी की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह माना है कि उत्तराधिकार का निर्धारण विधि के प्रावधानों के अनुसार एवं सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है और यह उचित नहीं होगा कि सरसरी जांच के आधार पर कार्यवाही की जावे। इसके बावजूद अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने नामान्तरकरण की कार्यवाही जारी रखने का आदेश देकर विधिक त्रुटिकारित की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का आदेश दिनांक 26–04–2006 एवं निर्णय उप जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 28–09–2004 को निरस्त फरमावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मु0 रामप्यारी बेवा पांचू द्वारा दिनांक 03.11.1998 को अप्रार्थी संख्या 1 किशना उर्फ कसना पत्नि कानाराम मीणा के नाम पंजीकृत वसीयत की थी। उक्त पंजीकृत वसीयत के आधार पर मु0 रामप्यारी की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी का नामांतरकरण किशना उर्फ कसना के नाम स्वीकृत किया जाना चाहिए था। परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत, खैरवाल द्वारा विवादित आराजी का नामांतरकरण 276 दिनांक 12–08–2003 मु0 रामप्यारी के उत्तराधिकारी, प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकृत कर दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रम पंचायत द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.08.2003 में बैठक की

कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की थी जिसमें अंकित किया गया था कि दिनांक 05.8.2003 से 20.8.2003 तक की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा किसी तरह का कोई नामांतरकरण नहीं खोला गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त नामांतरकरण 276 दिनांक 12–08–2003 ग्रम पंचायत की बैठक में निस्तारित होना नहीं पाया जाता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना समीचीन होगा कि प्रार्थी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार तथा अप्रार्थी संख्या 1 पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपने–अपने अधिकारों का दावा कर रह रहे है। इस बाबत पक्षकारों के मध्य राजस्व न्यायालय में मु0 रामप्यारी की आराजी के संबंध में दावे भी विचाराधीन चल रहे है। जिसमें राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुये है। इसलिए मु0 रामप्यारी के उत्तराधिकारी के प्रश्न को सक्षम न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित वाद में विधिसम्मत जांच करने के उपरांत ही तय किया जाना है। उक्त विधिक बिन्दु को ध्यान में रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार को जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

**''तहसीलदार, दौसा को प्रकरण रिमाण्ड कर यह निर्देश दिये जाते है कि वे नामान्तरकरण की जांच के दौरान यह भी देखे कि यदि सक्षम न्यायालय से अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश हो ता नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावे अन्यथा समुचति जांच कर विधि के प्रावधानानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करें।''**

उपरोक्त संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का

हस्तक्षेप करना उचित व न्यायसंगत नहीं समझते है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने खारिज की जाती है। अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2006 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| | | |